राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक—एफ. 3(4)पोषा / निरीक्षण / ICDS / 2013 / 128252-84 जयपुर, दिनांकः— 16/9/13

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः—केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार के वितरण के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती / धात्री महिलाओं को एक माह बेबीमिक्स एवं अगले माह पंजीरी पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा था। उक्त पोषाहार लाभान्वितों की साप्ताहिक आवश्यकता अनुसार पाउच में उपलब्ध कराया जा रहा था जिसके वितरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 3(3)(1)पो. / आयो. / विविध / मबावि / 2003 / 41885—42195 दिनांक 23.06.2009 द्वारा जारी किये गये थे।

वर्तमान में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पंजीरी (1000gm पैकिंग) एवं हलवा प्रीमिक्स (1020gm पैकिंग) तथा गर्भवती / धात्री महिलाओं को हलवा प्रीमिक्स (840gm पैकिंग) एवं उपमा प्रीमिक्स (845gm पैकिंग) पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा लाभान्वितों को एक बार में ही पूरे माह की आवश्यकता अनुसार पोषाहार का वितरण कर दिया जाता है। जिसके कारण लाभान्वित समेकित बाल विकास सेवाएं योजना की अन्य सेवाओं हेतु आंगनबाडी केन्द्रों पर उपस्थित नहीं होते है। अतः उक्त पोषाहार का लाभान्वितों को वितरण निम्नानुसार सुनिश्चित करावें:—

1. आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को माह में तीन बार क्रमशः हलवा प्रीमिक्स (1020gm), पंजीरी (1000gm) एवं हलवा प्रीमिक्स (1020gm) पोषाहार का एक—एक पाउच उपलब्ध कराया जावें।
2. गर्भवती / धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पोषाहार प्रति सप्ताह (हलवा प्रीमिक्स एवं उपमा प्रीमिक्स बारी—बारी से) उपलब्ध कराया जावें।

(आर.एस.मीणा)
अति.निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक—एफ. 3(4)पोषा / निरीक्षण / ICDS / 2013 / 128285-834 जयपुर, दिनांकः 16/9/13
प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीणा)
अति.निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in